

**अनुदान संख्या 21 - रक्षा पेंशन**  
**GRANT No. 21-DEFENCE PENSIONS**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित-	Charged-	25,00	5,97	-19,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	14648,75,00	15243,75,00	15243,45,94
पूरक	Supplementary	595,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के प्रभारित अंश में, 2.50 लाख रु. का विनियोग मुख्य शीर्ष "2071" - "पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।
2. अनुदान के स्वीकृत भाग में, बचते/अधिक व्यय

1. In the *charged* portion of the grant, *appropriation Rs.2.50 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2071" - "Pensions and other Retirement Benefits".
2. In the voted portion of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and other Retirement Benefits			
मू.	O.	1464875.00	1524375.00	1524345.94
पू.	S.	59500.00		
				-29.06

निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

- (I) Provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(I) 1.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत

पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मार्च, 2008 में “रक्षा” के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) “सेना - पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ” - 1285033.85 लाख रु. के मूल प्रावधान को 49504.36 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1334538.21 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो “पेंशन में सुधार” के अंतर्गत पेंशन संवितरण प्राधिकारियों द्वारा कम संख्या में मामलों का पुनरीक्षण किए जाने के कारण 1583.86 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) “नौसेना - छुट्टी नकदीकरण” - 3063.42 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1760.26 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4823.68 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो अर्जित अवकाश के कम नकदीकरण के कारण 1340.26 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

3. उपर्युक्त बचतें “रक्षा - सेना - छुट्टी नकदीकरण” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 2872.85 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 3445.16 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 41883.95 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अर्जित अवकाश के नकदीकरण में वृद्धि होने एवं मृत्यु संबंधी अधिक मामलों के कारण हुआ।

(II) Supplementary grant obtained in March, 2008 under “Defence” remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) “Army - Pension and other Retirement Benefits” - the original provision of Rs.1285033.85 lakhs was augmented to Rs.1334538.21 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.49504.36 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1583.86 lakhs - due to revision of less number of cases by the Pension Disbursing Authorities under “Improvement in Pension”.

(B) “Navy - Leave Encashment” - the original provision of Rs.3063.42 lakhs was augmented to Rs.4823.68 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1760.26 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1340.26 lakhs - due to less encashment of earned leave.

3. The above savings were partly offset by excess under “Defence-Army - Leave Encashment” - excess of Rs.2872.85 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.41883.95 lakhs including supplementary grant of Rs.3445.16 lakhs obtained in March, 2008) was due to increase in the encashment of earned leave and more death cases.